मुख्यालय-समन्वयOPOLC(CWSN)/1/2021(ई44735) **दिनांक 07.10.2021**

परिपत्र

विषय: सीडब्ल्यूएसएन अभ्यर्थियों और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में स्पष्टीकरण।

यह परिपत्र बौद्धिक नि:शक्तता/ मानसिक बीमारी वाले अभ्यर्थियों के संबंध में मेडिकल प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड के परिपत्र दिनांक 14/02/2020, और विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं से अवगत कराने के संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर भेजे गए विभिन्न अन्य परिपत्रों और सूचनाओं के क्रम में है।

सभी हितधारकों को पुन: एक बार सूचित किया जाता है कि

1. सीबीएसई दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का सही मायने में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।
2. सीबीएसई ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों को विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक लागू और व्यवहार्य हो, कार्यान्वित किया है।
3. सीबीएसई परिपत्र दिनांक 14/02/2020 किसी नियम या प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए नहीं था और इसका उद्देश्य हितधारकों को केवल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल व्यक्ति में निर्दिष्ट नि:शक्तता की सीमा के आकलन के संबंध में दिनांक 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचित विवरण के बारे में सूचित करना था। इसलिए, सभी स्कूलों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।

   किसी भी अस्पष्टता के मामले में, स्कूलों, छात्रों और अन्य संबंधितों से अनुरोध है कि वे ब्यौरे के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण करें।
4. सीबीएसई भविष्य में भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल अपने छात्रों के कल्याण और अधिकारों को सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को गंभीरता और ईमानदारी के साथ निरंतर रूप से जारी रखेगा।

-हस्ताक्षरित-
(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति: वेब एडमिन को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित